प्रपत्र-ई॰ 12

निर्वाचन व्यय के संबंध में प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दी जाने वाली सूचना का प्रपत्र

सेवा में,

.....

(अभ्यर्थी का नाम)

..... बोर्ड/ समिति के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/ सचिव/ मंत्री/ कोषाध्यक्ष/ प्रबंध समिति के सदस्य।

विषय : निर्वाचन व्यय के लेखा का संधारण एवं उसकी सच्ची प्रतिलिपि समर्पित करने के संबंध में।

महोदय/ महोदया,

आपका ध्यान बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 8 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें यह प्रावधान हैं कि निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी स्वयं या अपने अभिकर्त्ता द्वारा निर्वाचन के संबंध में, नामांकन पत्र भरने से निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति की अवधि के बीच, किये गये सभी खर्चों का अलग एवं सही लेखा संधारित करेगा।

या अपने अभिकर्त्ता द्वारा निर्वाचन के संबंध में, नामांकन पत्र भरने से निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति की अवधि के बीच, किये गये सभी खर्चों का अलग एवं सही लेखा संधारित करेगा।

ज्ञातव्य हो कि राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा विभिन्न समितियों के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/ सचिव/ मंत्री/ कोषाध्यक्ष/ प्रबंध समिति के सदस्य के पदों हेतु निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिये निम्नवत निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा नियत की गई है :-

व्यय की अधिकतम सीमा नियत की गई है :-

बोर्ड/ समिति का नाम	पद	व्यय की अधिकतम सीमा

2. आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 9 की ओर भी आकृष्ट किया जाता है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि बिना युक्तियुक्त कारण या औचित्य के विहित समय सीमा के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नही करने पर राज्य निर्वाचन प्राधिकार उक्त अभ्यर्थी को तीन वर्षो की अवधि के लिये चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य घोषित कर सकता है।

3. अगर कोई अभ्यर्थी किसी कारणवश गंभीरतापूर्वक चुनाव नहीं भी लड़ता है तथा केवल नामांकन शुल्क को छोड़कर कोई अन्य व्यय नही करता है, तब भी उसे अपना रिटर्न दाखिल करना होगा।

4. अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा अधिनियम की धारा 8 के अधीन रखे जाने वाले निर्वाचन व्यय का लेखा दिन-प्रतिदिन के आधार पर प्राधिकार के निदेशों के अधीन संधारित किया जायेगा।

5. निर्वाचन व्यय का लेखा जिस पंजी में संधारित किया जायेगा, वह संलग्न है। ख्याल रखें कि यह आपके लिये एक विशिष्ट पंजी है। इसी पंजी में ही अपने निर्वाचन व्यय से संबंधित दिन-प्रतिदिन का लेखा आप संधारित करेंगे, अन्य किसी पंजी में नही। इस पंजी के साथ विभिन्न व्यय के समर्थन में प्राप्त किये गये सभी अभिश्रव, विपत्र, प्राप्तियाँ, पावती आदि भी समुचित कालक्रमानुसार सजाकर रखे जायेंगे। निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पश्चात आपके द्वारा इस सूचना के साथ संलग्न प्रपत्र में व्यय से संबंधित एक सार विवरण भी तैयार किया जायेगा।

समुचित कालक्रमानुसार सजाकर रखे जायेंगे। निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पश्चात आपके द्वारा इस सूचना के साथ संलग्न प्रपत्र में व्यय से संबंधित एक सार विवरण भी तैयार किया जायेगा।

6. निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स॰ स॰)/उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स॰ स॰)/निर्वाचन पदाधिकारी/उप निर्वाचन पदाधिकारी अथवा निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी/प्राधिकार द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक अथवा अन्य नामांकित प्राधिकारियों द्वारा किसी भी समय मांग किये जाने पर **आपको पंजी एवं संगत अभिलेखों को उनके सामने प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नही किये जाने पर इसे आपके स्तर पर भारी चूक माना जायेगा तथा इस आधार पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 के सुसंगत प्रावधानों के अधीन आपके विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकेगी।**

7. जिस पंजी में आपने दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय का लेखा अंकित किया है, उस पंजी को ही निर्वाचन के पश्चात आपको निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ जमा करना है। आपको इस पंजी की प्रतिलिपि अपने पास अभिलेख के रूप में तथा भविष्य के संदर्भ हेतु अवश्य रख लेनी चाहिए। पंजी के साथ-साथ आपको कंडिका-5 में वर्णित सार विवरण भी एक शपथ पत्र के साथ जमा करना होगा। शपथ किसी प्रथम श्रेणी न्यायायिक दण्डाधिकारी या ओथ कमिश्नर या नोटरी के समक्ष लिया जायेगा।

स्थान : निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं सील

दिनांक :

अनुलग्नक -

1.पंजी क्रमांक -.....

2.सार विवरण का प्रपत्र

3.शपथ पत्र का प्रपत्र